दिनांक 26.11.2015 को 10:30 बजे समाहरणालय सभा कक्ष, मधेपुरा में जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में जिला स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित एजेन्डावार विषयों पर समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

---

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.12.2015 को व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा में होने की सूचना देते हुए बताया गया कि कल दिनांक 25.11.2015 को अप0 4:00 बजे में अधोहस्ताक्षरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा एवं पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, जिसमें उक्त मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। आज की बैठक इसी परिपेक्ष्य में रखा गया है। तदोपरान्त राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित एजेन्डावार विषयों पर विभागवार समीक्षा प्रारंभ की गई।

<u>(1) राजस्व :-</u>

बैठक में उपस्थित अंचल अधिकारियों से लंबित दाखिल- खारिज से संबंधित मामलों के संदर्भ में पूछे जाने पर अंचल अधिकारी, कुमारखंड-200, मधेपुरा-200, सिंहेश्वर- 100, बिहारीगंज-113, पुरैनी-213, चौसा 260, आलमनगर-150, शंकरपुर-105 एवं गम्हरिया-235 मामले निष्पादन की स्थिति में बताया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा दोनों भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्राधीन पड़नेवाले अंचल के अंचल अधिकारियों से निष्पादित दाखिल-खारिज वादों की सूची दिनांक 30-11-2015 तक प्राप्त कर समेकित सूची तैयार कर लेंगे। इसके लिए उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि दाखिल-खारिज वाद निष्पादन हेतु आदेश पत्रक का एक फार्मेट तैयार कर सभी अंचल अधिकारियों को उपलब्ध करा देंगे ताकि तदनुसार आदेश अभिलेखबद्ध कर सके। दिनांक 01-12-2015 को तत्संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि हर हाल में निर्धारित तिथि तक अपने-अपने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को सूची उपलब्ध करा देंगे ताकि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उसे भेजा जा सके।

<u>(2) दफा 107 एवं 110 :-</u>

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दफा-107/110 के 300 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि दफा-107/110 के 500 कुल 800 मामले विचाराधीन हैं, जिसका निष्पादन अतिशीघ्र कर जायेगा।

इस संबंध में जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दोनों पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन से पूर्व उक्त मामले का निदान करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन भेजा जाय। इसके अतिरिक्त यदि कोई भूमि विवाद, अतिक्रमण आदि का मामला हो तो उसका भी शीघ्र निष्पादन करें।

<u>(3) मनरेगा :-</u>

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मनरेगा अन्तर्गत मजदूरी भुगतान का विवाद के कारण लंबित है। वैसे कितने मजदूरों का भुगतान लंबित है, के संदर्भ में विस्तृत ब्यौरा/ प्रतिवेदन दिनांक 01-12-2015 तक उपलब्ध कराने का निदेश जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिया गया।

<u>(4) बिजली :-</u>

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आये दिन बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली विपत्र में गड़बड़ी की शिकायत की जा रही है, परन्तु विभाग के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप बकाये बिजली विपत्र का भुगतान बाधित हो जाता है एवं राजस्व की क्षति हो रही है।

बैठक में उपस्थित कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि इस तरह के लगभग 5000 मामले हैं। इस विवाद का निदान मुख्यालय स्तर से ही संभव है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि दोनों अनुमंडल स्तर पर दिनांक 30-11-2015, 01-12-2015 एवं 02-12-2015 को कैम्प लगाकर विवादों का निस्तार किया जाय। कैम्प आयोजन के पश्चात् हुई प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

<u>(5) बिक्री कर/आय कर/ अतिरिक्त कर :-</u>

वाणिज्य कर उपायुक्त, मधेपुरा आज की बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण उक्त मामले पर समीक्षा नहीं की जा सकी, जबकि इन्हें जिला विधि शाखा, मधेपुरा के पत्रांक 1375/विधि, दिनांक 23-11-2015 के द्वारा बैठक की सूचना दी गई थी।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण इनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाय। इसकी सूचना कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को भी दें।

(6) न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मामले :-

आज की बैठक में श्रम अधीक्षक, मधेपुरा अनुपस्थित पाए गए, जबकि उन्हें जिला विधि शाखा, मधेपुरा के पत्रांक 1375/विधि, दिनांक 23-11-2015 के द्वारा बैठक की सूचना दी गई थी। फलस्वरूप उक्त मामले की समीक्षा नहीं की जा सकी।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण इनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाय। इसकी सूचना कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को भी दें।

(7) आपदा प्रबंधन :-

अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मुआवजा भुगतान हेतु कोई भी विवादित मामला लंबित नहीं है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निदेश दिया गया कि अपने स्तर से अपने विभाग की पुनः समीक्षा कर लें। इस तरह का कोई मामला लंबित हो तो तत्क्षण इसका निदान करना सुनिश्चित किया जाय।

(8) निलाम पत्र वाद :-

प्रभारी पदाधिकारी, निलाम पत्र, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि लगभग 15000 वाद लंबित हैं। इस संदर्भ में जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा निदेश दिया गया कि जिला निलाम पत्र में लंबित बैंकवार वादों की समीक्षा कर लें एवं सभी संबंधित बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक कर मामले का समाधान करायें। इनमें से जो मामले लोक अदालत से समाधान योग्य हो, उसकी सूची एवं अभिलेख तैयार कर राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादनार्थ भेजें। तदोपरान्त हुई प्रगति से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन जिला विधि शाखा को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(9) अन्यान्य :-

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12-12-2015 को आयोजित है, जहाँ लोगों की अत्यधिक भीड़ हो सकती है। पीने के लिए पानी एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था आवश्यक है। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वे अपने विभागीय पेयजल टैंकर लोक अदालत स्थल पर अधिष्ठापित करेंगे तथा प्राथमिक उपचार हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा एक चिकित्सक की टीम प्रतिनियुक्त करेंगे, जहाँ वे स्टॉल लगाकर उपस्थित रहेंगे। साथ ही एक एम्बुलेंस भी रखेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1377 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 26.11.2015

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा/ सिविल सर्जन, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा/ सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा/ वाणिज्य कर आयुक्त, मधेपुरा/ अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा/ श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/ प्रभारी पदाधिकारी, निलाम पत्र, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति, प्रमंडल, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य, प्रमंडल, मधेपुरा/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री ओम प्रकाश, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्ध मार्ग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

(20) जिला कृषि एवं विज्ञान अधिकारी